छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– **secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063**

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/04/2023

क्रमांक/78/04/योजना/बीओसी/2023/146 ''भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996'' सहपठित ''छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008'' के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **''मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना'' में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 19 वीं बैठक दिनांक 19.04.2023 में लिए गए निर्णय के परिपालन में** पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/78/04/योजना/बीओसी/2023/138 दिनांक 29.03.2023 के **कण्डिका (ख) योजना का उद्देश्य, कण्डिका (ग) योजना का प्रावधान के उपबिन्दु (1) एवं (2)** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित करती है :–

<u>मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना :–</u>

(ख) योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने। (संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है) **के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है–**

इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने। (संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है)

निरंतर........................2

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं अन्य निजी स्कूलों के अंतर्गत **कक्षा 4 थीं अथवा 5 वीं** में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा **के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है –**

मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों जैसे–सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0 टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों, एवं स्वामी आत्मानंद स्कूल के अंतर्गत कक्षा 4 थीं अथवा 5 वीं के बच्चों को कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु तथा कक्षा 7 वीं एवं 8 वीं के बच्चों को कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।

2. हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु अध्ययनरत एक कक्षा (**4 थीं अथवा 5 वीं**) में वर्ष में 1 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा **के स्थान पर निम्नांकित अंतः स्थापित करता है –**

हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु अधिकतम 02 बार कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु किसी भी अध्ययनरत एक कक्षा में (4थीं अथवा 5वीं तथा 7वीं अथवा 8वीं) के बच्चों को) वर्ष में 1 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।)

उपरोक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

3/3/2023

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

निरंतर...3

पृष्ठां0 क्रमांक / 78 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 1524 – 1541 नवा रायपुर, दिनांक 07/07/23
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
18. गार्ड फाईल।

07/07/2023

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/03/2023

क्रमांक/78/04/योजना/बीओसी/2023/ 138 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना **"मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना" बनाती है :–**

(क) योजना का नाम :–

योजना का नाम **"मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना"** होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार से वंचित रह जाते हैं उनकी योग्यता के अनुरूप सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों इत्यादि में प्रवेश प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदाय किया जावेगा जिससे श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण का अवसर प्राप्त हो सके ताकि मजदूर का बच्चा मजदूर ना बने।
(संतान से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक के आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है)

(ग) योजना का प्रावधान :–

1. मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतानों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्कूलों में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, आर0टी0ई0 के तहत् निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों एवं अन्य निजी स्कूलों के अंतर्गत **कक्षा 4 थीं अथवा 5 वीं** में प्रवेश के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 माह से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।

2. हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 02 बार किन्तु अध्ययनरत एक कक्षा (**4 थीं अथवा 5 वीं**) में वर्ष में 1 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

निरंतर..2

3. पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम दो संतानों के द्वारा मंडल अंतर्गत चयनित किसी स्कूल के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
4. मंडल द्वारा योजनांतर्गत अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण कर लक्ष्य अनुरूप आवेदन स्वीकृत करते हुए निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जावेगी।

(घ) योजना में देय हितलाभः–

1. इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।
2. योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परिक्षाओं हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।

(ङ.) योजना की पात्रता :–

1. मंडल में पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो संतानों को ही प्रदाय किया जावेगा।
3. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतान संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता/रखती हो योजनांतर्गत पात्र होंगे।

(च) योजना का संचालन एवं चयनित संस्था का दायित्व :–

1. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूची की अभिव्यक्ति का प्रकाशन कर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संस्था/संस्थाओं का चयन किया जावेगा।
2. चयनित संस्थाओं द्वारा कक्षाएं संभागीय/जिला स्तर में ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
3. चयनित संस्थाओं द्वारा योजनांतर्गत जिलों मे प्राप्त आवेदनों का अभ्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार काउंसलिंग/परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जावेगी तथा पात्र अभ्यार्थियों के काउंसलिंग/परीक्षण संबधित दस्तावेजों की मूल प्रति ऑनलाईन विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।
4. चयनित संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन क्लास करने वाले छात्रों को मोबाईल एप्लीकेशन के द्वारा दैनिक लाइव क्लासेस दी जायेगी अथवा रिकार्डेड विडियो उपलब्ध कराया जावेगा।
5. **चयनित संस्थाओं द्वारा अध्ययन सामग्री** – चयनित आवेदकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम के अनुरूप हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से उपलब्ध कराए जायेंगे।

निरंतर...3

6. **चयनित संस्थाओं द्वारा शंका समाधान** – साप्ताहिक शंका समाधान कक्षाएं संभागीय मुख्यालय/जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी साथ ही कॉल सेंटर के माध्यम से शंका समाधान की सुविधा उपलब्ध होगी।

7. रूची की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्थानों का सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त/सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा गठित समिति/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर उपरोक्त संस्थान का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा।
2. आवेदक स्वयं/श्रमेव जयते मोबाईल एप/ऑनलाईन श्रम विभागीय पोर्टल/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी च्वाईस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. छात्र/छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई के संबंध में इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
4. **योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–**
   - 4.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति।
   - 4.2 हितग्राही के आधार कार्ड की प्रति।
   - 4.3 हितग्राही के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक सूची की प्रति।
   - 4.4 हितग्राही द्वारा स्व–घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति।
   - 4.5 हितग्राही के अभिभावक आवेदन की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो का नियोजक का प्रमाण पत्र।

टीप :– ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

(ज) स्वीकृति का अधिकार :–

संबंधित जिले के श्रम कार्यालय के श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदन सत्यापन उपरांत सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जावेगा।

(झ) भुगतान की प्रक्रिया :–

योजनांतर्गत रूची की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्थान को प्रति हितग्राही प्रतियोगिता परीक्षावार निर्धारित दर पर होने वाले का व्यय संबंधित संस्थान को भुगतान किया जावेगा।

निरंतर.......................................4

(ञ) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

(ट) योजना का प्रभावशीलन :–

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

29/3/2023

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक/78/04/योजना/बीओसी/2023/ 7543 / 7560 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/03/23
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।

निरंतर..5

13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
15. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
18. गार्ड फाईल।

27/3/2023

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर